C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
21 MAY 2025
D. No. ....
Initials....................

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00095

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00059

अपीलकर्ता श्री राम बाबू

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.01.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.01.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	30.01.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.के. चितकारा CPIO, (DR to CIC)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.04.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	01.05.2025
निर्णय की तारीख	20.05.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 24.01.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1.) दिनांक 17.10.2024 के आवेदन की प्रश्नो के उत्तर की फोटो कॉपी नि:शुल्क प्राप्त कराई जाये।

2.) दिनांक 06.12.2024 के शिकायत पत्र के प्रश्नो के उत्तर नि:शुल्क प्रदान कराई जाये।

3.) समय सीमा समाप्त होने पर भी जवाब प्रश्नो के उत्तर नहीं दिए गए कारण का ब्यौरा प्रदान करें।

4.) CIC के Order DEPOL/A/2003 – 147819 ORDER कॉपी नि:शुल्क प्राप्त कराये।

5.) CIC – 15/24 240 A /23 ID 1914/23 डी IV जं० मु० प्र० द्वारका जिला से प्राप्त जवाब की नि:शुल्क प्राप्त कराई जाए।

6.) पत्र प्राप्त होने के 30 दिन का ब्यौरा प्रदान कराये।

7.) मुझे दोनों जवाब की फोटो कॉपी तथा CIC के ORDER DEPOL/A/2003-147819 ORDER सभी निःशुल्क प्रदान कराये।

8.) अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने के संबंध पर क्या कार्यवाही होगी।

9.) मुझे सभी जवाब हिन्दी में और सब को OF लाइन Speed Post की प्रति से प्रदान कराई जाये।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.के. चितकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 30.01.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

With reference to your RTI application dated 24.01.2025 received on 28.01.2025, informed that your second appeal CIC/DEPOL/A/2023/147819 has been disposed of vide order dated 08.04.2024. In compliance of CIC order dated 08.04.2024, the CPIO/DCP, Dwarka vide letter dated 21.06.2024 has provided the information to you. Further, you are seeking information in the form of queries in your letter dated 17.12.2024. As such, the same is not covered under section 2 (f) of the RTI Act, 2005. The letter dated 06.12.2024 mentioned in your RTI application has not been attached by you with your RTI application. The CIC order dated 08.04.2024 in second appeal number CIC/DEPOL/A/2023/147819 is self explanatory."

3. प्रथम अपील का आधार

मैंने दिनांक को 24.01.2025 Public Information Officer Central Information Commission Baba Gang Nath Marg, Munirka Newe Delhi 110067 के यहाँ पर आवेदक किया गया था इस सन्दर्भ में P.I.O. जी के यहाँ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ मेरे प्रश्नो के उत्तर स्पष्ट नहीं किये गए कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ समय सीमा समाप्त न होने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया दिनांक 29.01.2025 से आज तक कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं प्राप्त हुआ इस कारण से penalty लगाने का कष्ट करें।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00059 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं

मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to CIC) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00059 के तहत मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट बिंदुवार सूचना प्रेषित की जाये।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 20.05.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) श्री एस.के.चितकारा CPIO (DR to CIC), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

21/5/2025